

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
भू-अर्जन निदेशालय, बिहार, पटना।

प० सं० 14/डी०एल०ए० एस० एस० बी०-सीतामढ़ी-01/13-...../रा०, पटना-15, दिनांक-...../...../2013

अधिसूचना

संख्या-15/डी०एल०ए०, सीतामढ़ी - 2172 /रा०, पटना, दिनांक-04-09-13
चूँकि बिहार सरकार को यह प्रतीत होता है कि ग्राम-मुरहाडीह थाना नं०-03 राजस्व थाना-सीतामढ़ी, परगना कनहौली अंचल-सोनवरसा, थाना- सोनवरसा जिला-सीतामढ़ी में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् एस एस वी के वी ओ पी के लिये सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिसूचना किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त ग्राम- मुरहाडीह के अन्दर 3.00 एकड़ भूमि अपेक्षित है, जो मानक माप से कमोवेश बी०/क०/धूर है, जो 3.00 एकड़ के बराबर होता है जिसका खेसरा संख्या निम्नांकित है:-

खेसरा

संख्या:-686पूर्ण,687पूर्ण,688पूर्ण,689पूर्ण,690पूर्ण,691पूर्ण,692पूर्ण,693पूर्ण,676पूर्ण,380पूर्ण,381पूर्ण,

इसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है:-

चौहद्दी	ग्राम-मुरहाडीह, थाना नं०-03
उत्तर	वॉध
दक्षिण	खेसरा सं० 382 एवं 675
पूरब	खेसरा सं० 700,699,694,684,685,680,679 एवं 677,
पश्चिम	खेसरा सं० 369,371,372,379,

यह अधिसूचना अधिनियम-1,1894(बिहार अधिनियम-11,1961 द्वारा यथा संशोधित) की धारा-4 के उपबंधों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिसका इससे संबंध हो।

उक्त भूमि का नक्शा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सीतामढ़ी के कार्यालय में देखा जा सकता है और चूँकि बिहार राज्यपाल की राय है कि कुल-3.00 एकड़ भूमि कृषि योग्य तथा उसका तुरन्त अर्जन आवश्यक है। इसलिए उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (4) के अधीन निदेश दिया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 (ए) अंश के उपबंध उक्त भूमियों पर लागू नहीं होंगे।


समाहर्ता,
सीतामढ़ी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

301
सरकार के अवर सचिव,
बिहार, पटना।

~~क्रमांक-15/डी0एल0ए0, सीतामढ़ी~~

~~/रा0, पटना, दिनांक~~


प्रतिलिपि निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को तीन अतिरिक्त प्रतियाँ सहित सी0डी0 के साथ दो दैनिक समाचार पत्रों में, जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो प्रकाशनार्थ। इसकी प्रकाशित प्रति जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सीतामढ़ी को उपलब्ध कराया जाए।

प्रतिलिपि- प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट, सीतामढ़ी को अधिसूचना की दो प्रतियाँ सहित गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित गजट की 10 (दस) अतिरिक्त प्रतियाँ इस विभाग को भेजने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि-अपर समाहर्ता, सीतामढ़ी/जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सीतामढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


समाहर्ता,
सीतामढ़ी।


सरकार के अवर सचिव
बिहार, पटना।